

पिछड़ा वर्ग का सामाजिक विकास और आरक्षण

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में आरक्षण के माध्यम से समाज में हुए परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है कि आजादी के बाद सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए किस मूल भावना के तहत आरक्षण कि व्यवस्था की गई है, जिस मूल भावना से आरक्षण दिया गया, उसे हासिल करने में कितनी सफलता मिली है या किस तरह से आरक्षण का लाभ एक विशेष वर्ग से जुड़कर रह गया है। जो वंचित वे आज भी उसी रिति में हैं या सुधार हुआ है, आरक्षण को लेकर सरकार किस तरह की सौदेबाजी कर रही है। आरक्षण किस तरह से सामाजिक विकास को स्थापित करने में सफल हुआ है।

मुख्य शब्द : पिछड़ा वर्ग, आरक्षण, सामाजिक उत्थान।

प्रस्तावना



निरक्तार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग,
एम०जी०एम० कॉलेज,
सम्बल

आरक्षण का अर्थ है— सब प्रकार से रक्षा करना या सुरक्षा प्रदान करना। वर्तमान में आरक्षण शब्द का प्रयोग कुछ विशेष जातियों अथवा वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षा एवं सरकारी-अर्द्ध सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं प्रदान करने के अर्थ में किया जा रहा है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही देशवासियों को सामाजिक न्याय देने की बात कही गई है, जिसके माध्यम से दो अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव है। इनमें पहला लक्ष्य है व्यक्ति की गरिमा में अभिवृद्धि करना तथा दूसरा है राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करना। चूंकि इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति सामाजिक न्याय को सम्भव बनाने वाली है, अतः इनको स्पष्ट करते हुए संविधान सभा द्वारा समाज की विषमता, ऊँच—नीच, सवर्ण—अवर्ण, शोषक—शोषित, छूत—छूत जैसी गलत धारणाओं पर प्रहार करते हुए अनुच्छेद 14 में सभी को समानता का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 17 के अनुसार समाज से अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की उपाधियों को, जो समाज में कुछ लोगों को श्रेष्ठता प्रदान करती थीं, समाज घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यवहार और बलात श्रम को निषिद्ध घोषित करते हुए इसके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इन अनुच्छेदों को नागरिकों के मूल अधिकारों के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इसका तात्पर्य है कि इनके उल्लंघन की दशा में व्यक्ति को इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु सर्वोच्च न्यायालय तक के द्वारा हमेशा खुले रहेंगे।

इससे स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं के मनोमस्तिष्क में सामाजिक समानता की प्रबल भावना विद्यमान थी, जिसको संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में कहा गया है कि “यदि सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अविकसित वर्गों के लिए अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित के लिए कोई प्रावधान बनाती है तो इससे अनुच्छेद 15 (1) में उल्लिखित समता के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं होगा।” (चौधरी बासुकीनाथ, युवराज कुमार, पृष्ठ 47) इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट उल्लेख है कि ‘‘सरकार को यह अधिकार है कि पिछड़े वर्ग के हित में, जो सरकार की दृष्टि में लोकसेवाओं में संतोषजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सका है, आरक्षण का प्रावधान बनाए।’’ (चौधरी बासुकीनाथ, युवराज कुमार, पृष्ठ 47)। यहाँ यह स्पष्ट है कि इन अनुच्छेदों में आरक्षण हेतु दो अनिवार्यताएं अपेक्षित हैं, शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ापन तथा लोकसेवाओं में अल्प प्रतिनिधित्व।

सन् 1909 में मार्लै—मिण्टो सुधार में आरक्षण के प्रारम्भिक बीज दिखाई दिए। इसके बाद 1932 में कम्यूनल एवार्ड लागू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य दलितों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ विशेष वर्गों के लिए अलग से उपबन्ध किए गए थे। बाद में संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में दलितों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की। संविधान के अनुच्छेद 14 में जहाँ सभी को समानता का दर्जा देने

की बात की गई है, वहीं पर अनुच्छेद 17 द्वारा सामाजिक अस्पृश्यता का अन्त किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं की इच्छा सामाजिक स्तर पर देश में एकरूपता लाने की थी। आज आरक्षण का पवित्र मुददा स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण अपने मूल उद्देश्य से भटकता जा रहा है। वास्तव में आरक्षण पर आज तक जितनी भी बहसें हुई हैं, वे समाज सुधार की भावना से कम तथा राजनीतिक स्वार्थ की भावना से अधिक प्रेरित थीं। यही कारण है कि आज आरक्षण का लाभ वास्तविक लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य पिछड़े वर्गों का सामाजिक विकास और आरक्षण का अध्ययन करना है।

आरक्षण क्यों?

अब प्रश्न उठना स्वभाविक है कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है? यह समझने के लिए हमें अपनी सोच तटस्थ रखनी होगी। गांधी जी, अम्बेडकर, नेहरू और कांग्रेस ने आरक्षण की बात सिफ़र आर्थिक उन्नति के लिए नहीं सोची थी। इसके मूल में पिछड़ी जातियों, शोषितों, आदिवासियों और हरिजनों के सामाजिक उत्थान की बात थी। आज भी अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति का व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, समाज में ऊँची जातियों के आगे उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। आरक्षण की भूमिका यहीं महत्वपूर्ण हो जाती है।

जब शोषितों, पिछड़ों या दलितों में से एक भी व्यक्ति आरक्षण से लाभान्वित होकर किसी उच्च पद पर पहुँचता है, तो उसके पास काम से आया किसी भी बड़ी जाति का आदमी कुर्सी के खौफ से उस दलित या पिछड़े अधिकारी को सम्मान देने को विदेश होता है। अगर हमने आरक्षण विरोधियों के समानअवसर के अतार्किक सिद्धान्त को लागू करके भविष्य के लिए नई व्यवस्था बना दी, तो समाज में विषमता बढ़ेगी। समानता का सिद्धान्त सिफ़र समान लोगों में ही सम्भव है। असमानता के साथ समानता का सिद्धान्त लागू करने का अर्थ होगा असमानता को और पुरुषों करना। कुश्ती हमेशा दो मुकाबले के पहलवानों में ही होती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों के लिए विशेष प्रकार के अवसर का प्रावधान संविधान में किया था।

पिछड़े वर्गों के आरक्षण से सम्बन्धित आयोग

संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया है कि 'राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा भारतीय क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। आयोग का कार्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने तथा उनके सामाजिक व शैक्षिक विकास का मापने का पैमाना ज्ञात करना होगा।' (चौधरी बासुकीनाथ, युवराज कुमार, पृष्ठ 418) चूंकि पिछड़े वर्गों का मामला संविधान में नहीं सुलझाया गया है, परिणामतः राज्य और केन्द्र सरकारों ने अनेक आयोग इस प्रश्न के समाधान हेतु नियुक्त किए। केन्द्र सरकार ने दो आयोग— कालेलकर आयोग (1953) और मण्डल आयोग (1979) नियुक्त किए। जबकि राज्य सरकारों द्वारा लगभग 17 आयोगों को

आरक्षण के आधार को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया। दोनों केन्द्रीय आयोगों ने जाति को आरक्षण का आधार माना, जबकि राज्य स्तर पर गठित 17 आयोगों में से चार (कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, प०बंगाल और गुजरात) ने आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार माना।

काका साहब कालेलकर आयोग

केन्द्रीय आयोगों में से प्रथम काका साहब कालेलकर आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जनवरी 1953 में पिछड़ेपन के आधार और अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1955 में प्रस्तुत की। उन्होंने विभिन्न जातियों/समुदायों को अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में चिन्हित किया और ऐसी 2399 जातियों/समुदायों का उल्लेख किया जिनमें से 837 को सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत रखा। उनके उत्थान के लिए आयोग ने प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 25 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 33.3 प्रतिशत, तस्वीर और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 40 प्रतिशत पद आरक्षित करने तक सभी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण—संस्थानों में 70 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की। परन्तु इन सिफारिशों के लिए आयोग के सदस्य एकमत नहीं थे। मतैक्य के अभाव तथा कार्यप्रणाली की त्रुटियों के आधार पर उसे अस्वीकार कर दिया गया।

विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल आयोग

दूसरे केन्द्रीय आयोग की नियुक्ति जनवरी 1979 में जनता सरकार के शासन के दौरान विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1980 में प्रस्तुत की। गणना के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयुक्त किए गए। मूलतः जाति को पहचान का आधार मानते हुए मण्डल आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए मापदण्ड प्रस्तुत किए। मण्डल आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों को, जो कि कुल 3743 हैं और गैर-हिन्दू जातियों सहित अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर भारत की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है, 27 प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव दिया।

मण्डल आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 1982 में संसद के समक्ष रखा गया। कांग्रेस सरकार ने इस प्रतिवेदन को न तो स्वीकार किया और न ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार ही किया। वास्तव में इसे चुपचाप अलमारी में रखा गया। जनवरी 1990 में सत्ता में आई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमन्त्री वी०पी० सिंह ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया। इससे देश भर में अनेक हिंसक घटनाएं, प्रदर्शन तथा आन्दोलन हुए। फलतः आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गया।

इसी बीच सरकार में परिवर्तन हुआ। केन्द्र में सत्तारूढ़ पी०वी० नरसिंह राव सरकार ने 25 सितम्बर 1991 को ऊँची जातियों के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तबकों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण लागू करने का निर्णय किया। परन्तु 16 नवम्बर 1992 को 'इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय के

नौ जजों की पीठ द्वारा 5-4 के बहुमत से दिया गया यह निर्णय न्याय के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। निर्णय में "27 प्रतिशत आरक्षण को यथावत रखा गया। लेकिन नरसिंह राव सरकार के 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण को रद्द कर दिया गया तथा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जाति के आधार को स्वीकार किया गया, क्रीमी लेयर को निकाला गया तथा तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण को उचित नहीं माना गया। इसका अलावा प्रोन्नति में आरक्षण नहीं रखा गया तथा न्यायालय ने सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को पिछड़ा वर्ग न मानते हुए केवल पिछड़े पेशों को ही पिछड़े वर्ग में रखा।"(अनिल अग्रवाल, पष्ठ 38)

क्रीमी लेयर

उच्चतम न्यायालय ने मण्डल आयोग की सिफारिशों पर दिए गए अपने निर्णय में यह कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़ों को ही मिलना चाहिए। यदि पिछड़े वर्ग में कोई सम्पन्न है, तो उसे यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं पिछड़ों में सम्पन्न लोगों को ही 'क्रीमी लेयर' की संज्ञा दी गई। इस हेतु सरकार ने पिछड़े वर्गों में सम्पन्न लोगों की पहचान हेतु न्यायमूर्ति आरोएनो प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी फरवरी 1993 में गठित की, जिसने पिछड़ों में सम्पन्न यानी क्रीमीलेयर के पहचान का मानदण्ड निश्चित किया। प्रसाद समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित पदधारकों या सम्पति धारकों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

संवैधानिक पद

जैसे—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि पदधारकों के बच्चों को।

सेवा संवर्ग

जैसे— केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह 'क' प्रथम श्रेणी के अधिकारी, केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के 'ख' द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों के अधिकारी, समान पद धारण करने वाले विश्वविद्यालयों के अधिकारी तथा सेना में कर्नल या उच्च पद धारण करने वाले, वायुसेना या नौसेना या अर्द्ध-सैनिक बलों में तत्समान पद धारण करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को।

व्यावसायिक वर्ग

जैसे— डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, आयकर सलाहकार, प्रबन्धन सलाहकार, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता, वास्तुविद्, कंप्यूटर विशेषज्ञ, फिल्मी कलाकार, लेखक, खिलाड़ी आदि व्यक्तियों के बच्चों को।

4-सम्पत्ति धारक— जैसे— 85 प्रतिशत से अधिक कष्टीय भूमि धारण करने वाले व्यक्ति, काफ़ी रबर, चाय बागान के स्वामी, आम, नीबू सेब बागान के स्वामी आदि के बच्चों को।

आरक्षण की सीमा— मण्डल आयोग ने समाज के 52 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की

सिफारिश की थी। किन्तु उनका कहना था कि 27 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक सीमा के अन्तर्गत ही है, नहीं तो वे इसे और बढ़ाकर सिफारिश करते। संविधान के अनुसार आरक्षण कभी भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद भी यह सीमा 50 प्रतिशत को पार नहीं कर पाती है, क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण की ही व्यवस्था है।

लेकिन वर्तमान समय में संविधान द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने की विभिन्न राज्य सरकारों में होड़ सी लग गई है। इसके ताजा उदाहरण हैं मुख्यतः दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक एवं तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यमन्त्री सुश्री जयललिता ने 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करके अपने मज़बूत तर्कों द्वारा 25 अगस्त 1994 को लोकसभा में सर्व-सम्मति से 85वें संविधान संशोधन को पारित कराने में सफलता प्राप्त की। इस संशोधन के अनुसार तमिलनाडु का 69 प्रतिशत आरक्षण अधिनियम संविधान की नौवीं अनुसूची के अन्तर्गत आ गया है। इसी प्रकार पिछड़े वर्गों को 73 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल कर्नाटक विधानसभा द्वारा भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्य भी इस दौड़ में शामिल हैं।

संविधान में मूल रूप से आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी। 10 वर्ष बाद आरक्षण की उपलब्धियों की समीक्षा करने के बाद ऐसा महसूस किया गया कि भारत जैसे रुद्धि से ग्रसित देश में इसकी अभी भी आवश्यकता है। अतः इसकी अवधि को 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। प्रारम्भिक दो दशकों में आरक्षण का वास्तविक लाभ पिछड़े वर्गों को नहीं मिल सका। बाद में इस व्यवस्था को पुनः दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया। पिछड़े वर्गों को विकास के वास्तविक लक्ष्य न प्राप्त करने के कारण इसे दस-दस वर्षों के लिए कई बार बढ़ाया गया। आरक्षण की वर्तमान अवधि 2020 तक है।

आरक्षण का विरोध

पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के बाद से ही भारत में आरक्षण विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ। अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण का विरोध दो आधारों पर किया जाता है। पहला— अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित या शोषित नहीं है और न ही कभी रहा है। दूसरा यह कि अन्य पिछड़ी जातियाँ स्वयं भी कुछ अधिपत्यवादी हैं और वह निम्न धार्मिक स्तर के परिणामों से पीड़ित भी नहीं हैं। 06 अप्रैल 2006 को मानव संसाधन विकास मन्त्री अर्जुन सिंह ने आई0आई0टी० और आई0आई०एम० जैसी शैक्षिक संस्थाओं और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। अब सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ों को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दियाजाए या नहीं यह बहस का व्यापक मुद्दा बन गया है। जहाँ आरक्षण के विरोधियों का तर्क है कि इससे शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी, प्रतिभाओं का हनन होगा। वर्षी आरक्षण समर्थकों का तर्क है कि क्या सरकारी नौकरियों में अभी तक सरकारी कामकाज की गुणवत्ता पर असर पड़ा है?

केपिटेशन फीस वाली शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाओं के हनन का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता?

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में पिछड़ों का उत्थान करना, राज्य तथा उसके प्रबुद्ध नागरिकों का कर्तव्य है। राष्ट्र में किसी भी वर्ग में यदि कोई निर्धन और पिछड़ा हुआ है, भले ही वह किसी जाति का क्यों न हो, वह विशेष सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। परन्तु दुःख की बात है कि आरक्षण और सामाजिक न्याय की स्थापना आज हमारे राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली और गोट बैंक की राजनीति बन गए हैं। इनका राजनीतिकरण न्याय के स्थान पर तनाव पैदा कर रहा है। अभी तक हम गाँधी जी के सपनों का जाति विहीन समाज पाने में असफल रहे हैं। निःसन्देह अगले कई दशकों तक हमें आरक्षण की इस व्यवस्था को इसी रूप में अपनाना होगा। एक शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य है। यदि क्रीमीलेयर को हटाने की प्रक्रिया ईमानदारी और सूझाबूझ के साथ चलायी जाती रही तो एक ऐसा समय आएगा जब समाज में कोई भी न तो पिछड़ा रहेगा और न ही उसे आरक्षण की आवश्यकता होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

- बासुकी नाथ चौधरी, युवराज कुमार— भारतीय शासन और राजनीति— ओरियंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण 2011।
- संपादक— अनिल अग्रवाल— परीक्षा मंथन निबन्ध वार्षिकी भाग—1— एकेडमी प्रेस, इलाहाबाद— संस्करण—1996—97।
- डॉ० निशान्त सिंह— महिला राजनीति और आरक्षण—ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली— संस्करण 2010।
- डॉ० नागेश्वर प्रसाद— अन्वेषक और दलित— प्रकाश बुक डिपो, बरेली— संस्करण 2015।
- डॉ० जय नारायण पाण्डेय— भारत का संविधान—सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद— संस्करण 2010।
- प्रो०एस०एम० सईद— भारतीय राजनीतिक व्यवस्था—सुलभ प्रकाशन, लखनऊ— संस्करण 1998।